



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167628

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27866 वर्ष 2026

सुमित सिंह

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षगण

आवेदक के अधिवक्ता

: देव प्रकाश शर्मा, प्रियंका देवी

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आज सूचनाकर्ता की ओर से श्री राजवीर चौरसिया, विद्वान अधिवक्ता की वकालतनामा दाखिल की गई, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रियंका देवी शर्मा, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजवीर चौरसिया की ओर से पैरवी कर रही विद्वान अधिवक्ता सुश्री रितिका मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए-1 डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा में धारा 103(1), 61(2)(क) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 154 वर्ष 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि सूचनाकर्ता की पुत्री की हत्या के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को नामजद किया गया है, किन्तु यह परिलक्षित होता है कि आवेदक को सह-अभियुक्त भूरा के साथ संदेह के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संदेह तथा आवेदक के इकबालिया बयान एवं पुलिस के समक्ष सह-अभियुक्त के बयान के अतिरिक्त ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जो आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ सके।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एक सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आवेदक सह-अभियुक्त भूरा के साथ दिखाई देता है, किन्तु मृतका उनके साथ नहीं थी और इसलिए इसे निर्णायक परिस्थिति नहीं माना जा सकता।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वास्तव में सह-अभियुक्त भूरा का मृतका के साथ प्रेम संबंध था और उसकी हत्या के बाद उसे अभियुक्त बनाया गया तथा आवेदक उसका मित्र होने के कारण उसे भी संदेह के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था, किन्तु वर्तमान मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अपराध में चालान किया गया है।
9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 15.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
10. इसके विपरीत, विद्वान एजीए तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
12. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यह परिलक्षित होता है कि आवेदक को सह-अभियुक्त भूरा के साथ वर्तमान मामले में संदेह के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है।
13. अभिलेख से आगे यह भी परिलक्षित होता है कि संदेह तथा आवेदक के इकबालिया बयान एवं पुलिस के समक्ष सह-अभियुक्त के बयान के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जो उसे वर्तमान अपराध से जोड़ सके। इसके अतिरिक्त, अपराध कारित करने का उद्देश्य भी सह-अभियुक्त भूरा के विरुद्ध था।
14. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था, किन्तु वर्तमान मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अपराध में चालान किया गया है।
15. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 15.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
16. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।
18. आवेदक-**सुमित सिंह** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
19. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11 अगस्त, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ए.के. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”